झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
आदेश

श्री हरिशंकर प्रसाद, सेवानिवृत, परियोजना पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद के दिनांक–31.08.12 को सेवानिवृति के उपरांत उनके अव्यवहृत अवकाश के बदले समतुल्य राशि के भगुतान हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–6/एस०–11 (अवकाश) 01–05/948 दिनांक–12.05.05 में निहित प्रावधान के आलोक में तथा वित्त (वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रांची ज्ञापांक–वित्त (दा० को०) 15–05/12–2502/ दाको दिनांक–20.09.12 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत उपार्जित अवकाश/छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत कुल–300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

2. अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद भुगतान की राशि की महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत वेतन पर्ची के आधार पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद द्वारा जिला कोषागार धनबाद से की जाएगी।

3. श्री हरिशंकर प्रसाद, सेवानिवृत, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद के पक्ष में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द, धनबाद से निर्गत बकाया रहित प्रमाण–पत्र एवं भवन प्रमण्डल, धनबाद के स्तर से निर्गत आवास संबंधी मांग रहित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

4. का० प्र० सु० विभाग के पत्रांक–10421 दिनांक–10.09.12 के क्रम में विभागीय पत्रांक–1613 दिनांक–05.10.12 द्वारा वांक्षित No dues प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया जाय।

5. G M D I C धनबाद श्री प्रसाद के पूर्व दो पदस्थपन स्थल से Audit report में बकाया, प्रभार बकाया तथा Unadjusted advance का सत्यापन कर, सन्तुष्ट हो लेगें। अगर कोई बकाया हो तो कटौती कर शेष राशि भुगतान हो एवं कटौती की राशि कार्यालय प्रधान से डी. डी. भेज दें।

6. यह व्यय बजट शीर्ष–2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति मद लाभ उपादान–अन्य उपादान से विकलित होगा।

7. स्वीकृति के प्रस्ताव पर सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक__________रांची, दिनांक
01/उ०वि०/सेवा (राज०)–43/12
प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक__________रांची, दिनांक
प्रतिलिपि–उद्योग निदेशक, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1742 रांची, दिनांक 17-10-2012
प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्री प्रसाद के दो पूर्व पदस्थापन स्थानों को ए०जी०/वित्त अंकेक्षण/ लंबित बकाया के संबंध में सूचना प्राप्त कर ही भुगतान की कार्रवाई की जाए एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को भी अवगत कराया जाय।

17-10-12
सरकार के उप सचिव।